

INDIA



Treaty Series No. 2 (1982)

Convention ✓

between the Government of the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
and the Government of India

for the Avoidance of Double Taxation
and the Prevention of Fiscal Evasion
with respect to Taxes on
Income and Capital Gains

New Delhi, 16 April 1981

[The Convention entered into force on 21 October 1981]

*Presented to Parliament
by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
by Command of Her Majesty
January 1982*

LONDON

HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE
£4.75 net

Cmnd. 8442

**CONVENTION
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM
OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND
THE GOVERNMENT OF INDIA
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME AND CAPITAL GAINS**

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of India;

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Personal Scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2

Taxes Covered

1. The taxes which are the subject of this Convention are:

(a) in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

- (i) the income tax;
- (ii) the corporation tax;
- (iii) the capital gains tax;
- (iv) the petroleum revenue tax; and
- (v) the development land tax;
(hereinafter referred to as "United Kingdom tax");

(b) in India:

- (i) the income-tax and any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961); and
- (ii) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964); (hereinafter referred to as "Indian tax").

2. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

ARTICLE 3

General Definitions

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:
 - (a) the term "United Kingdom" means Great Britain and Northern Ireland, including any area outside the territorial sea of the United Kingdom which in accordance with international law has been or may hereafter be designated, under the laws of the United Kingdom concerning the Continental Shelf, as an area within which the rights of the United Kingdom with respect to the sea bed and sub-soil and their natural resources may be exercised;
 - (b) the term "tax" means United Kingdom tax or Indian tax, as the context requires;
 - (c) the term "fiscal year" in relation to Indian tax means 'previous year' as defined in the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
 - (d) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the United Kingdom or India, as the context requires;
 - (e) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
 - (f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate for tax purposes;
 - (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
 - (h) the term "competent authority" means, in the case of the United Kingdom the Commissioners of Inland Revenue or their authorised representative, and in the case of India the Central Government in the Department of Revenue;
 - (i) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
 - (j) the term "Government" means the Government of a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof. In relation to the United Kingdom, the term "political subdivision" shall include Northern Ireland.
2. As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

ARTICLE 4

Fiscal Domicile

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined in accordance with the following rules:

- (a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

ARTICLE 5

Permanent Establishment

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) premises used as a sales outlet or for receiving or soliciting orders;
- (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
- (h) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;
- (i) an installation or structure used for the exploration of natural resources;
- (j) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or supervisory activity continues for a period of more than six months, or where such project or supervisory activity, being incidental

to the sale of machinery or equipment, continues for a period not exceeding six months and the charges payable for the project or supervisory activity exceed 10 per cent of the sale price of the machinery and equipment.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information or for scientific research, being activities solely of a preparatory or auxiliary character in the trade or business of the enterprise. However, this provision shall not be applicable where the enterprise maintains any other fixed place of business in the other Contracting State for any purpose or purposes other than the purposes specified in this paragraph.

4. A person acting in a Contracting State for or on behalf of an enterprise of the other Contracting State—other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 of this Article applies—shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the first-mentioned State if:

- (a) he has and habitually exercises in that State, an authority to negotiate and enter into contracts for or on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or
- (b) he habitually maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which he regularly delivers goods or merchandise for or on behalf of the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, if the activities of such an agent are carried out wholly or almost wholly for the enterprise (or for the enterprise and other enterprises which are controlled by it or have a controlling interest in it) he shall not be considered to be an agent of an independent status for the purposes of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other

Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

ARTICLE 6

Income from Immovable Property

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. (a) The term "immovable property" shall, subject to the provisions of sub-paragraph (b) of this paragraph, be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated.

(b) The term "immovable property" shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 of this Article shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

ARTICLE 7

Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In so far as it has been customary in a Contracting State according to its law to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise

to its various parts, nothing in paragraph 2 of this Article shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

4. (a) *In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses of the enterprise which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including only those executive and general administrative expenses incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, which are allowed under the provisions of the domestic law of the Contracting State in which the permanent establishment is situated. Provided that where the law of the Contracting State in which the permanent establishment is situated imposes a restriction on the amount of the executive and general administrative expenses which may be allowed, and that restriction is relaxed or overridden by any Convention between that Contracting State and a third State which enters into force after the date of entry into force of this Convention, the competent authority of that Contracting State shall notify the competent authority of the other Contracting State of the terms of the corresponding paragraph in the Convention with that third State immediately after the entry into force of that Convention and, if the competent authority of the other Contracting State so requests, the provisions of this sub-paragraph shall be amended by protocol to reflect such terms.*

(b) *However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on monies lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken in the determination of the profits of a permanent establishment of amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on monies lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.*

5. *No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.*

6. *Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.*

ARTICLE 8

Air Transport

1. Income derived from the operation of aircraft in international traffic by an enterprise of one of the Contracting States shall not be taxed in the other Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall likewise apply in respect of participation in pools of any kind by enterprises engaged in air transport.

3. For the purposes of this Article:

(a) interest on funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such aircraft; and

(b) the term "operation of aircraft" shall include transportation by air of persons, livestock, goods or mail, carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft on a charter basis and any other activity directly connected with such transportation.

4. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of aircraft owned and operated by the enterprise, the income from which is taxable only in that State, shall be taxed only in that State.

ARTICLE 9

Shipping

1. Income of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article such income may be taxed in the other Contracting State from which it is derived provided that:

(a) the income is in respect of any one or more of the first ten fiscal years for which this Convention has effect;

(b) the tax chargeable on that income shall be 50 per cent of the tax which would have been chargeable in the absence of this Convention in respect of the income for the first five fiscal years for which this Convention has effect and 25 per cent of such tax for the next following five years.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply to income from journeys between places which are situated in a Contracting State.

4. For the purposes of this Article, income from the operation of ships includes income derived from the rental on a bareboat basis of ships if such rental income is incidental to the income described in paragraph 1 of this Article.

5. Notwithstanding the provisions of Article 7 (Business Profits), the provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall likewise apply to income of an enterprise of a Contracting State from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise.

6. The provisions of this Article shall apply also to income derived from participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

7. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or containers owned and operated by the enterprise shall be taxed only in that State if either the income from the operation of the alienated ships or containers was taxed only in that State, or the ships or containers are situated outside the other Contracting State at the time of the alienation.

ARTICLE 10

Associated Enterprises

Where:

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State; or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State;

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

ARTICLE 11

Dividends

1. (a) A dividend paid by a company which is a resident of the United Kingdom to a resident of India may be taxed in India.
- (b) Where under paragraph 2 of this Article, a resident of India is entitled to a tax credit in respect of that dividend, tax may also be charged in the United Kingdom and according to the laws of the United Kingdom on the aggregate of the amount or value of the dividend and the amount of the tax credit, at a rate not exceeding 15 per cent.
- (c) Except as provided in sub-paragraph (b) of this paragraph, a dividend derived from a company which is a resident of the United Kingdom by a resident of India, who is the beneficial owner of that dividend, shall be exempt from any tax in the United Kingdom which is chargeable on dividends.

2. A resident of India who receives a dividend from a company which is a resident of the United Kingdom shall, subject to the provisions of paragraph 3 of this Article and provided he is the beneficial owner of the dividend, be entitled to the tax credit in respect of that dividend which an individual resident in the United Kingdom would have been entitled to had he received that dividend, and to the payment of any excess of that tax credit over his liability to United Kingdom tax.

3. Paragraph 2 of this Article shall not apply where the beneficial owner of the dividend is a company which either alone or together with one or more associated companies controls directly or indirectly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividend. For this purpose two companies shall be deemed to be associated if one is controlled directly or indirectly by the other, or both are controlled directly or indirectly by a third company.

4. A dividend paid by a company which is a resident of India to a resident of the United Kingdom may be taxed in the United Kingdom. The dividend may also be taxed in India but, where the dividend relates in whole or in part to a new contribution, the Indian tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividend attributable to the new contribution.

5. The preceding paragraphs of this Article shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividend is paid.

6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 or, as the case may be, paragraph 4 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the dividend, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State of which the company paying the dividend is a resident, a permanent establishment or fixed base with which the holding by virtue of which the dividend is paid is effectively connected. In such a case the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 15 (Independent Personal Services), as the case may be, shall apply.

7. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other State.

8. As used in this Article the term "dividend" means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights treated in the same manner as income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident and any other item (other than interest which falls within the provisions of Article 12) treated as a dividend or distribution under that law.

9. As used in paragraph 4 of this Article the term "new contribution" means any share capital, other than bonus shares, issued after the date of entry into force of this Convention by a company which is a resident of India, and beneficially owned by a resident of the United Kingdom.

ARTICLE 12

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the law of that State, provided that where the resident of the other Contracting State is the beneficial owner of the interest and it is paid in respect of a loan or debt first created after the date of entry into force of this Convention, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article:

(a) where the interest is paid to a bank carrying on a *bona-fide* banking business which is a resident of the other Contracting State and is the beneficial owner of the interest, the tax charged in the Contracting State in which the interest arises shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest;

(b) where the interest is paid to the Government of one of the Contracting States or a political subdivision or local authority of that State or the Reserve Bank of India, it shall not be subject to tax by the State in which it arises.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 15 (Independent Personal Services), as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest

is borne by that permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and some other person, the amount of the interest paid exceeds for whatever reason the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 13

Royalties and Fees for Technical Services

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the law of that State; provided that where the royalties or fees for technical services are paid to a resident of the other Contracting State who is the beneficial owner thereof and they are paid in respect of a right or property which is first granted, or under a contract which is signed, after the date of entry into force of this Convention, the tax so charged shall not exceed 30 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind including rentals received as a consideration for the use of, or the right to use:

- (a) any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process;
- (b) industrial, commercial or scientific equipment, or information concerning industrial, commercial or scientific experience;
- (c) any copyright of literary, artistic or scientific work, cinematographic films, and films or tapes for radio or television broadcasting;

but does not include royalties or other amounts paid in respect of the operation of mines or quarries or of the extraction or removal of natural resources.

4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any kind to any person, other than payments to an employee of the person making the payments and to any individual for independent personal services mentioned in Article 15 (Independent Personal Services), in consideration for services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise through a

permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 15 (Independent Personal Services), as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State where the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to make the payments was incurred and the payments are borne by that permanent establishment or fixed base, then the royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services paid exceeds for whatever reason the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 14

Capital Gains

Except as provided in Articles 8 (Air Transport) and 9 (Shipping) of this Convention, each Contracting State may tax capital gains in accordance with the provisions of its domestic law.

ARTICLE 15

Independent Personal Services

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character may be taxed in that State. Such income may also be taxed in the other Contracting State if such services are performed in that other State and if:

- (a) he is present in that other State for a period or periods aggregating 90 days in the relevant fiscal year; or
- (b) he has a fixed base regularly available to him in that other State for the purpose of performing his activities;

but in each case only so much of the income as is attributable to those services.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 16

Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 17 (Directors' Fees), 18 (Artistes and Athletes), 19 (Governmental Remuneration and Pensions), 20 (Students and Trainees) and 21 (Teachers), salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, remuneration derived by a resident of the United Kingdom in respect of an employment exercised in India shall not be taxed in India if:

- (a) he is present in India for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during the relevant fiscal year;
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of India; and
- (c) the remuneration is not deductible in computing the profits of an enterprise chargeable to Indian tax.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, remuneration derived by a resident of India in respect of an employment exercised in the United Kingdom shall not be taxed in the United Kingdom if:

- (a) he is present in the United Kingdom for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during the relevant fiscal year;
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the United Kingdom; and
- (c) the remuneration is not deductible in computing the profits of an enterprise chargeable to United Kingdom tax.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic may be taxed in the Contracting State of which the person deriving the profits from the operation of the ship or aircraft is a resident.

ARTICLE 17

Directors' Fees

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 18

Artistes and Athletes

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 (Independent Personal Services) and 16 (Dependent Personal Services), income derived by entertainers (such as stage, motion picture, radio or television artistes and

musicians) or athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

2. Where income arising from personal activities as such exercised in a Contracting State by an entertainer or athlete accrues not to that entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 (Business Profits), 15 (Independent Personal Services) and 16 (Dependent Personal Services), be taxed in that Contracting State.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the visit to a Contracting State of the entertainer or the athlete is directly or indirectly supported, wholly or substantially, from the public funds of the other Contracting State, including a political subdivision or local authority of that other State.

ARTICLE 19

Governmental Remuneration and Pensions

1. Remuneration, other than a pension, paid by the Government of India to any individual who is a national of India in respect of services rendered in the discharge of governmental functions in the United Kingdom shall be exempt from United Kingdom tax.

2. Remuneration, other than a pension, paid by the Government of the United Kingdom to any individual who is a national of the United Kingdom in respect of services rendered in the discharge of governmental functions in India shall be exempt from Indian tax.

3. Any pension paid by the Government of a Contracting State to any individual in respect of services rendered to that Government shall be taxable only in that Contracting State.

4. The provisions of this Article shall not apply to remuneration or pensions in respect of services rendered in connection with any trade or business.

ARTICLE 20

Students and Trainees

1. An individual who is a resident of a Contracting State or was a resident of that State immediately before visiting the other Contracting State and who is temporarily present in that other State for the primary purpose of:

- (a) studying at a university or other accredited or recognised educational institution in that other Contracting State; or
- (b) securing training required to qualify him to practise a profession or a professional speciality; or
- (c) studying or doing research as a recipient of a grant, allowance, or award from a governmental, religious, charitable, scientific, literary or educational organisation;

shall not be subjected to tax by that other Contracting State in respect of:

- (i) gifts from abroad for the purposes of his maintenance, education, study, research or training;

- (ii) the grant, allowance, or award; and
- (iii) *income from personal services rendered in that other Contracting State (other than any rendered by an articled clerk or other person undergoing professional training to the person or partnership to whom he is articled or who is providing the training) not exceeding the sum of 750 pounds sterling or its equivalent in Indian currency during any fiscal year.*

2. The exemptions under paragraph 1 of this Article shall only extend for such period of time as may be reasonably or customarily required for the purpose of the visit, but in no event shall any individual have the benefit of paragraph 1 of this Article for more than 5 years.

3. An individual who is a resident of a Contracting State or was a resident of that State immediately before visiting the other Contracting State and who is temporarily present in that other State for a period not exceeding 12 months, as an employee of, or under contract with, a resident of the first-mentioned Contracting State, for the primary purpose of:

- (a) acquiring technical, professional or business experience from a person other than that resident of the first-mentioned Contracting State; or
- (b) studying at a university or other accredited or recognised educational institution in that other Contracting State;

shall not be subject to tax by that other Contracting State on his income from personal services performed in the other Contracting State for that period in an amount not exceeding 1,500 pounds sterling or its equivalent in Indian currency.

4. An individual who is a resident of a Contracting State or was a resident of that State immediately before visiting the other Contracting State and who is temporarily present in that other State for a period not exceeding 12 months as a participant in a programme sponsored by the Government of the other Contracting State, for the primary purpose of training, research or study, shall not be subject to tax by that other Contracting State in respect of payments made by the Government of the first-mentioned Contracting State for the purposes of his maintenance, training, research, or study.

ARTICLE 21

Teachers

1. An individual who visits a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or engaging in research at a university, college or other recognised educational institution in that State, and who was immediately before that visit a resident of the other Contracting State, shall be exempted from tax by the first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date he first visits that State for such purpose.

2. This Article shall only apply to income from research if such research is undertaken by the individual in the public interest and not primarily for the benefit of some other private person or persons.

ARTICLE 22

Elimination of Double Taxation

1. Subject to the provisions of the law of the United Kingdom regarding the allowance as a credit against United Kingdom tax of tax payable in a territory outside the United Kingdom (which shall not affect the general principle hereof):

(a) Indian tax payable under the laws of India and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, on profits, income or chargeable gains from sources within India (excluding, in the case of a dividend, tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) shall be allowed as a credit against any United Kingdom tax computed by reference to the same profits, income or chargeable gains by reference to which the Indian tax is computed.

(b) In the case of a dividend paid by a company which is a resident of India to a company which is a resident of the United Kingdom and which controls directly or indirectly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividend, the credit shall take into account (in addition to any Indian tax for which credit may be allowed under the provisions of subparagraph (a) of this paragraph) the Indian tax payable by the company in respect of the profits out of which such dividend is paid.

Provided that this paragraph shall not apply to a company which is a resident of the United Kingdom and is a Petroleum Company as defined for the purposes of Schedule 9 to the Oil Taxation Act, 1975.

2. Subject to the provisions of the law of India regarding the allowance as a credit against Indian tax of tax payable in a territory outside India (which shall not affect the general principle hereof), the amount of United Kingdom tax payable, under the laws of the United Kingdom and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of income from sources within the United Kingdom which has been subjected to tax both in India and the United Kingdom shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such income but in an amount not exceeding that proportion of Indian tax which such income bears to the entire income chargeable to Indian tax. In no case shall credit for United Kingdom tax be given against the additional income-tax on undistributed income of companies.

For the purposes of the credit referred to in this paragraph, where the resident of India is a company by which surtax is payable, the credit to be allowed against Indian tax shall be allowed in the first instance against the income-tax payable by the company in India and, as to the balance, if any, against the surtax payable by it in India.

3. For the purposes of paragraph 1 of this Article the term "Indian tax payable" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax but for a deduction allowed in computing the taxable income or an exemption or reduction of tax granted for that year under:

- (a) sections 10(4), 10(4A), 10(6)(vii), 10(15)(iv), 32A, 33A, 35B, 35CC, 80HH, 80J and 80K of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), so far as they were in force on and have not been modified since the date of signature of this Convention, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character; or
- (b) any other provision which may subsequently be made granting an exemption or reduction from tax which is agreed by the competent authorities of the Contracting States to be of a substantially similar character, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.

Provided that relief from United Kingdom tax shall not be given by virtue of this paragraph in respect of income from any source if the income relates to a period starting more than 10 fiscal years after the exemption from, or reduction of, Indian tax is first granted to the resident of the United Kingdom or to the resident of India, as the case may be, in respect of that source.

4. Income which in accordance with the provisions of this Convention is not to be subjected to tax in a Contracting State may be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracting State on other income.

5. For the purposes of paragraphs 1 and 2 of this Article profits, income and chargeable gains owned by a resident of a Contracting State which may be taxed in the other Contracting State in accordance with the provisions of this Convention shall be deemed to arise from sources in that other Contracting State.

6. Where profits on which an enterprise of a Contracting State has been charged to tax in that State are also included in the profits of an enterprise of the other State and the profits so included are profits which would have accrued to that enterprise of the other State if the conditions made between the enterprises had been those which would have been made between enterprises dealing wholly independently with each other, the amount included in the profits of both enterprises shall be treated for the purposes of this Article as income from a source in the other State of the enterprise of the first-mentioned State and relief shall be given accordingly under the provisions of paragraph 1 or paragraph 2 of this Article.

7. For the purposes of this Article the term "in accordance with the provisions of this Convention" shall include taxes which are the subject of this Convention and imposed on income not expressly mentioned in the Convention.

ARTICLE 23

Non-discrimination

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less

favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same conditions. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which an enterprise of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar enterprise of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 4 of Article 7 of this Convention.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to individuals not resident in that State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes which are by law available only to individuals who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

ARTICLE 24

Mutual Agreement Procedure

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

ARTICLE 25

Exchange of Information

The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (being information and documents which are at their disposal under their respective taxation laws and obtained in the normal course of

administration) as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or for the prevention of fraud or the administration of statutory provisions against legal avoidance in relation to the taxes which are the subject of this Convention. Any information or documents so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed to persons (including a court or administrative body) concerned with assessment, collection, enforcement or prosecution in respect of taxes which are the subject of this Convention. No information or documents shall be exchanged which would disclose any trade, business, industrial or professional secret or any trade process.

ARTICLE 26

Diplomatic and Consular Officials

1. Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of Article 4 (Fiscal Domicile), an individual who is a member of the diplomatic, consular or permanent mission of a Contracting State which is situated in the other Contracting State and who is subject to tax in that other State only if he derives income from sources therein, shall not be deemed to be a resident of that other State for the purposes of this Convention.

ARTICLE 27

Entry into Force

Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Convention. This Convention shall enter into force on the date of the later of these notifications⁽¹⁾ and shall thereupon have effect:

- (a) in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
 - (i) in respect of income tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or after 6 April in the calendar year next following that in which the later of the notifications is given;
 - (ii) in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after 1 April in the calendar year next following that in which the later of the notifications is given;
 - (iii) in respect of petroleum revenue tax, for any chargeable period beginning on or after 1 January in the calendar year next following that in which the later of the notifications is given;
 - (iv) in respect of development land tax, for any realised development value accruing on or after 1 April in the calendar year next following that in which the later of the notifications is given;
- (b) in India, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the later of the notifications is given.

(1) The Convention entered into force on 21 October 1981.

ARTICLE 28

Termination

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Convention, through the diplomatic channel; by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of ten years from the date of entry into force of the Convention. In such event, the Convention shall cease to have effect:

- (a) in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
 - (i) in respect of income tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or after 6 April in the calendar year next following that in which the notice is given;
 - (ii) in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after 1 April in the calendar year next following that in which the notice is given;
 - (iii) in respect of petroleum revenue tax, for any chargeable period beginning on or after 1 January in the calendar year next following that in which the notice is given;
 - (iv) in respect of development land tax, for any realised development value accruing on or after 1 April in the calendar year next following that in which the notice is given; and
- (b) in India, in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

Done on this 16th day of April, 1981, in New Delhi on two original copies each in the Hindi and English languages, both texts being equally authentic. In case of divergence between the two texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of the United
Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland:

J. A. THOMSON

For the Government of India:

G. RAMACHANDRAN

यूनाइटेड किंगडम बाफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नाईर्न वायरलेस

की सरकार

वैर

भारत सरकार

के बीच वाय तथा पूर्वगत छाम पर दोहरे कराधान
के परिहार वैर राष्ट्रव अपबचन को रोकने के छिए

बन्धितम्

यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नाईर्न आयरलैण्ड
की सरकार
और
भारत सरकार
के बीच

वाय तथा पूंजीगत लाभ पर दोहरे कराधान के परिहार
और राजस्व अपवर्चन को रोकने के लिए अक्समम

--

यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नाईर्न आयरलैण्ड
की सरकार और भारत की सरकार ;

वाय तथा पूंजीगत लाभ पर करों के सम्बन्ध में दोहरे
कराधान के परिहार और राजस्व अपवर्चन को रोकने
के लिए अक्समम सम्बन्ध करने की इच्छा से ;

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है :

अनुच्छेद 1

वैधानिक क्षेत्र

यह वल्लिम्ब उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी एक वया दोनो संबिदाकारी राज्यों के निवासी हैं।

वित्तिय के अन्तर्गत जाने वाले कर

(1) यह वित्तिय करों पर लागू होगा ये हैं:

(क) 'यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नाईर्न वायरलैंड' में :

- (i) आय कर ;
 - (ii) निम्न कर ;
 - (iii) पूंजीगत लाभ कर ;
 - (iv) वेदोल्डियम टैक्स कर ; और
 - (v) विकसित मूल्य कर ;
- (चिन्हों के बाद 'यूनाइटेड किंगडम कर' कहा जाएगा)

(ख) भारत में :

- (i) वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अन्तर्गत लाया जाने वाला वायकर अधिनियम में इसपर लाया जाने वाला प्रत्येक अधिनियम की शक्ति है ;
- (ii) कम्पनी (लाभ) अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अन्तर्गत लाया जाने वाला अधिनियम (चिन्हों के बाद 'भारतीय कर' कहा जाएगा)

(2) यह वित्तिय वर्तमान करों अथवा उनकी जाह लाये जाने वाले करों के अतिरिक्त सम्पूर्ण अथवा भारत में जैसे ही करों पर भी लागू होगा जो इस अधिनियम पर हस्ताक्षर होने की तारीख के बाद किसी संबिदाकारी राज्य द्वारा लाये जायें । संबिदाकारी राज्यों के सधाम

प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में फिर गए किन्हीं
परिवर्तनों के सम्बन्ध में एक दूसरे को सूचित करें ।

साधान्य परिभाषाएं

(1) इस अधिनियम में, जब एक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (क) 'यूनाइटेड किंगडम' शब्द का अर्थ होगा ग्रेट ब्रिटेन तथा नाइर्वे वायर लैंड्स जिसमें यूनाइटेड किंगडम की समुद्री सीमा से बाहर का क्षेत्र कोई भी अन्य क्षेत्र शामिल होगा जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार महादीपीय झुंझ से सम्बन्धित यूनाइटेड किंगडम के कानूनों के अन्तर्गत आता हो या बाद में वा बाहर जिसपर समुद्री-तल तथा भू-गर्भ और उनके प्राकृतिक संसाधनों के बारे में यूनाइटेड किंगडम के अधिकारों का प्रयोग किया जाए ;
- (ख) 'कर' शब्द से, संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम का कर अर्थात् भारतीय कर अभिप्रेत है ;
- (ग) भारतीय कर के सम्बन्ध में 'राजस्व वर्ण' का अर्थ भारतीय वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में यथा परिभाषित 'पिछला वर्ण' है ;
- (घ) 'एक संबिदाकारी राज्य' और 'द्वारे संबिदाकारी राज्य' शब्द से अभिप्रेत होगा यूनाइटेड किंगडम अर्थात् भारत के भी संदर्भ से अपेक्षित हो ;
- (ङ) 'व्यक्ति' शब्द से अभिप्रेत होगा- कोई व्यक्ति, कम्पनी और व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय ;
- (च) 'कम्पनी' शब्द से कोई ऐसा निम्नलिखित निकाय अर्थात् कोई इकाई अभिप्रेत है जो कर प्रयोजनों के लिए कम्पनी अर्थात् निम्नलिखित निकाय के रूप में मानी जाती है ;

- (इ) एक संबिदाकारी राज्य का उष्म तथा कूरे संबिदाकारी राज्य का उष्म षद से क्रमशः संबिदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित उष्म और कूरे संबिदाकारी राज्य के निवासी द्वारा संचालित उष्म वभिन्नेत होगा ;
- (घ) यूनास्टेट किंडम के माफ़े में सदाय प्राधिकारी षद से वभिन्नेत होगा, वान्तरिक राक्षव के वायुस वष्म उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि और भारत के माफ़े में केन्द्रीय सरकार का राक्षव विभाग ;
- (ङ) वन्तराष्ट्रीय यातायात षद से वभिन्नेत होगा किसी क्षेत्रे कल्यान वष्म वायुयान द्वारा परिवहन जो क्षेत्रे किसी उष्म द्वारा संचालित हो जिसकी प्रभाषी प्रबन्ध वष्मस्था का स्थान किसी संबिदाकारी राज्य में हो, सिवाय इस स्थिति के षव कि कल्यान वष्म वायुयान कूरे संबिदाकारी राज्य के ही स्थानों के बीच चलाया जाता हो ;
- (च) सरकार षद से वभिन्नेत होगा किसी संबिदाकारी राज्य वष्म उसका राजनीतिक उपविभाग वष्म स्थानीय प्राधिकरण की सरकार । यूनास्टेट किंडम के माफ़े में 'राजनीतिक उप मंडल' में नार्दन वायरलेड शामिल होगा ।

(2) जहां तक किसी संबिदाकारी राज्य द्वारा इस वभिन्नेत के प्रवर्तन का सम्बन्ध है, किसी षद का, जो वन्वया परिभाषित नहीं हुआ हो, संदर्भ में षव तक वन्वया अपेक्षित न हो, तब तक वही वर्ध होगा जो उस संबिदाकारी राज्य के उन करों से सम्बन्धित कानूनों के वन्वयत होता है जो इस वभिन्नेत के विषय है ।

वार्षिक विकास

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, संबिदाकारी राज्य का निवासी' बंद से अभिप्रेत होगा कोई ऐसा व्यक्ति जिसपर वहाँ, उस राज्य के कानून के अन्तर्गत उसके विकास, निवास, प्रबन्ध स्थान वगैरह इस प्रकार की किसी अन्य क्वांटी के कारण कर लाया जा सकता है।

(2) वहाँ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के उपबन्धों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संबिदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहाँ उसका वर्षा नीचे लिखे नियमों के अनुसार तय किया जाएगा :

(क) उसे उस संबिदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका स्थायी घर हो। यदि उसका दोनों संबिदाकारी राज्यों में स्थायी घर है तो वह उस संबिदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यवहारात् और वार्षिक सम्बन्ध अनिच्छत हैं (महत्वपूर्ण हितों केन्द्र) ;

(ख) यदि उस संबिदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित है, नियम न किया जा सकता हो, वगैरह यदि उसको किसी भी संबिदाकारी राज्य में स्थायी निवास उपलब्ध न हो, तो वह उस संबिदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह वास्तव में रहता है ;

(ग) यदि वह वास्तव में दोनों ही संबिदाकारी राज्यों में रहता हो वगैरह उनमें से किसी भी राज्य में वास्तव में न रहता हो तो वह उस संबिदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका वह राष्ट्रिक है ;

(घ) यदि वह दोनों संबिदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक हो वरुन उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक न हो तो संबिदाकारी राज्यों के सदास प्राधिकारी वरुनर ससमति द्वारा सस व्रस का निर्णय करें ।

(3) वहां सस वनुचुद के पैराग्राफ (1) के उपबन्धों के कारण से, ब्याष्टि से भिन्न कोई ब्याष्टि दोनों संबिदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस संबिदाकारी राज्य का निवासी माना वरुना जिसमें उसके प्रभावी व्रबन्ध का स्थान स्थित है ।

स्थायी स्थापन

(1) इस बन्धनमय में 'स्थायी स्थापन' पद का अर्थ होगा कारोबार का वह निश्चित स्थान जहाँ उसका कारोबार पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।

(2) 'स्थायी स्थापन' पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) प्रबन्ध का कोई स्थान ;
- (ख) कोई ज्ञाता ;
- (ग) कोई कार्यालय ;
- (घ) कोई कारखाना ;
- (ङ) कोई कारखाना ;
- (च) कोई बरिसर जहाँ से विक्रय-कार्य किया जाता हो और जहाँ विक्रय वादेश प्राप्त किए जाते हों ;
- (छ) जो व्यक्ति दूसरों को मंडारण की सुविधाएँ देता हो उसका कोई मालगोदाम ;
- (ज) कोई तान, सुठी तान अथवा छेदा कोई अन्य स्थान जहाँ से प्राकृतिक संसाधन निकाले जाते हों ;
- (झ) प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए हस्तेमात्र किया जाने वाला कोई संस्थापन अथवा संरचना ;
- (ञ) कोई मन-निर्माण अथवा निर्माण, संस्थापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा जैसे स म्यद पर्यवेदनी कार्यवाही जहाँ इस प्रकार का स्थान, परियोजना अथवा पर्यवेदनी कार्यवाही है: महीने से अधिक अवधि तक जारी रहती है अथवा जहाँ इस प्रकार की परियोजना

व्यक्त बर्कौदागी कार्यवाही, मशीनरी व्यक्त उपकरणों के विक्रय से सम्बन्ध रखती हो और छः महीने से अधिक अवधि तक जारी न रहे और उस परिचयना व्यक्त बर्कौदागी कार्यवाही के लिए वेव प्रभार मशीनरी और उपकरण के विक्री मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक हो ;

(3) 'स्थायी स्थापन' शब्द में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जायेगा ;

- (क) किसी उद्यम के माछ व्यक्त तिवारती सामान के पूर्णतः मंहारणा व्यक्त उसके प्रदत्त के उद्देश्य से किन्हीं सुविधाओं का प्रयोग ;
- (ख) केवल मंहारणा व्यक्त प्रदत्त के उद्देश्य से उद्यम के माछ व्यक्त तिवारती सामान का स्टॉक रखना ;
- (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संभाषित करने के उद्देश्य से ही उद्यम के माछ व्यक्त तिवारती माछ का स्टॉक रखना ;
- (घ) किसी उद्यम के लिए माछ व्यक्त तिवारती माछ तरीयने व्यक्त सूचना सूत्र करने के उद्देश्य मात्र के लिए ही व्यक्तसाय का कोई निश्चित स्थान रखना ;
- (ङ) केवल विज्ञापन के लिए सूचना देने के लिए व्यक्त वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य से ही, जो सम्बद्ध उद्यम के व्यापार में पूर्णतः प्रारम्भिक व्यक्त सहायक स्वरूप की गति-विधियाँ ही होती हैं, व्यक्तसाय का कोई निश्चित स्थान रखना, लेकिन अगर सम्बद्ध उद्यम उस पैराग्राफ में बताये गये उद्देश्यों से अतार किसी उद्देश्य व्यक्त उद्देश्यों के लिए दूसरे संबंधकारी राज्य में व्यक्तसाय का कोई अन्य निश्चित स्थान रखता है तो यह प्रापधान उस पर लागू नहीं होगा ।

(4) अन्य संबिदाकारी राज्य के उच्च के लिए क्या उच्च की ओर से किसी संबिदाकारी राज्य में काम कर रहा कोई व्यक्ति को स्वतंत्र हेसियत से अधिकारों से मिन हो ओर जिसपर पैराग्राफ 6 लागू होता हो - प्रथमोक्त राज्य में उस उच्च का स्थायी स्थापन माना जाएगा, यदि :

(क) उसे वास्तुतः से उस राज्य में उस उच्च के लिए ओर उसकी ओर से बातचीत करने का तथा उसके लिए क्या उसकी ओर से संबिदाएं सम्पन्न करने का अधिकार प्राप्त हो ओर वह वास्तुतः से उस अधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि उसकी गतिविधियां उस उच्च के लिए माउ क्या सामान तरीके तक ही सीमित न हों ;
क्या

(ख) वह प्रथमोलिखित संबिदाकारी राज्य में वास्तुतः से उस उच्च के माउ क्या तिवारती माउ का फठार रतता हो जिसमें से वह उस उच्च के लिए क्या उसकी ओर से माउ क्या तिवारती माउ नियमित रूप से मेकता हो ।

(5) एक संबिदाकारी राज्य से किसी उच्च का कूरे संबिदाकारी राज्य में केवल इसलिए कोई स्थायी स्थापन नहीं माना जाएगा कि वह किसी क्लाइ, सामान्य कमीशन एजेन्ट क्या स्वतंत्र हेसियत के किसी अन्य एजेन्ट के माध्यम से उस कूरे राज्य में कारोबार करता है जहां उपयुक्त प्रकार के व्यक्ति इस तरह का कारोबार सामान्यतः करते हैं । लेकिन यदि इस प्रकार के एजेन्ट की कार्यवाहियां पूर्णतः क्या जमा पूर्णतः उस उच्च विशेष के लिए की जाती हैं (क्या इस उच्च क्या से अन्य उच्चों के लिए की जाती हैं जो उच्च उच्च विशेष के द्वारा नियंत्रित हैं क्या इसमें उसके नियंत्रणकारी हित हैं) तो उसे इस पैराग्राफ के प्रयोजन से स्वतंत्र हेसियत का एजेन्ट नहीं माना जाएगा ।

(6) यदि कोई कम्पनी जो किसी एक संबिदाकारी राज्य में स्थित हो और दूसरे संबिदाकारी राज्य में स्थित किसी कम्पनी को नियंत्रित करती हो क्या उसे नियंत्रित होती हो क्या जो उस दूसरे राज्य में कारोबार करती हो (चाहे किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से क्या अन्यथा) तो मात्र इस तथ्य के लिए ही उन दोनों में से किसी को दूसरे का स्थायी स्थापन नहीं माना जाएगा ।

वक्ल सम्पत्ति से वाय

(1) वक्ल सम्पत्ति से वाय पर कर उस संबिदाकारी राज्य में लाया जायेगा जिसमें उस प्रकार की सम्पत्ति स्थित है।

(2) (क) इस पैराग्राफ के उप-पैरा (स) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 'वक्ल सम्पत्ति' शब्द उस संबिदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार परिभाषित किया जायेगा जहाँ सम्पत्तिक सम्पत्ति स्थित है।

(स) 'वक्ल सम्पत्ति' शब्द में किसी भी हालत में वे शामिल होंगे - वक्ल सम्पत्ति के उत्पादन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वन-सम्पत्ति में प्रयुक्त पशुधन तथा उपकरण, जैसे अधिकार किन पर मू-सम्पत्ति सम्बन्धी सामान्य कानून के उपबन्ध लागू होते हों, वक्ल सम्पत्ति को मंगने के अधिकार और सनिम मज्दार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक साधनों के संचालन के लिए अपना कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अपना निश्चित वसायनियों के अधिकार। शोत तथा विमान वक्ल सम्पत्ति नहीं माने जायेंगे।

(3) इस अनुच्छेद के पैरा (1) के उपबन्ध वक्ल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, किराये से अपना किसी अन्य प्रकार से प्राप्त वाय पर लागू होंगे।

(4) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) और (3) के उपबन्ध किसी उधम की वक्ल सम्पत्ति से प्राप्त वाय पर और व्यक्तिसाक्षिक सेवाओं के निष्पादन में प्रयुक्त वक्ल सम्पत्ति से प्राप्त वाय पर लागू होंगे।

कारोबार से छाम

(1) संबिदाकारी राज्य के किसी उष्म के छाम पर केवळ उसी राज्य में कर लाया जाकेता फक्त कि वह उष्म पूरे संबिदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी स्थापन द्वारा कारोबार न करता हो । यदि कोई उष्म उपबुद्ध तरीके से कारोबार करता हो, तो पूरे राज्य में उष्म के छामों पर कर लाया जा सकता है, परन्तु उसके केवळ उतने बंध पर ही कर लोना बोकि उस स्थायी स्थापन से सम्बन्धित है ।

(2) यदि किसी संबिदाकारी राज्य का कोई उष्म पूरे संबिदाकारी राज्य में स्थित स्थायी स्थापन द्वारा कारोबार करता हो, प्रत्येक संबिदाकारी राज्य में होने वाले छाम को उस स्थायी स्थापन का ही छाम समझा जाता बो कि उसके द्वारा प्राप्त होने की तब अपेक्षा रखती फ्य वह उन्हीं वा कौसी ही परिस्थितियों में उन्हीं वा कौसे ही कार्यों में लाया हुआ कोई निश्चित वा ^{भिन्न} उष्म होता वा उष्म के साथ पूर्णतया स्वतंत्र रूप से कारोबार करता है, किन्तु यह एक स्थायी स्थापन है ।

(3) जहाँ तक किसी संबिदाकारी राज्य में उसके कानून के अनुसार किसी उष्म के कुछ छाम के उसके विभिन्न कों में प्रभाजन के वाधार पर, किसी स्थायी स्थापन को होने वाले छाम को निर्धारित करना प्रचलित रहा हो, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के द्वारा वह संबिदाकारी राज्य, प्रचलित तरीके से ऐसे प्रभाजन से छाम पर कर निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रभावित न होगा, परन्तु प्रभाजन के प्रयोग का तरीका ऐसा होगा कि परिणाम, इस अनुच्छेद में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार होगा ।

- (4) (क) स्थायी स्थापन के ठामों के निर्धारण में व्यर्थों की स्टोस्तियों को स्वीकार किया जाएगा, जो स्थायी स्थापन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए किये गए हों, और उनमें केवल उस प्रकार किये गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहें जाहे वे उस राज्य में किए गए हों वहां स्थायी स्थापन स्थित है वयथा अन्यत्र, और किसी स्वीकृति उस संबिदाकारी राज्य के अपने वास्तविक कानून के उपबन्धों के वर्तित की जाती है, वहां स्थायी स्थापन स्थित है।

परन्तु वहां उस संबिदाकारी राज्य के कानून द्वारा, स्वीकार्य कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक व्यय राशि पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जहां स्थायी स्थापन स्थित है, और उस संबिदाकारी राज्य और किसी तीसरे राज्य के बीच किसी वभिन्नमय के फलस्वरूप उस में हूट दी जाती है या उसे रद्द कर दिया जाता है, और जोकि उस वभिन्नमय के ठागू होने की तारीख के बाद प्रवृत्त होगा, उस संबिदाकारी राज्य का कोई सदाम अधिकारी अन्य संबिदाकारी राज्य के सदाम अधिकारी को उस वभिन्नमय के ठागू होने के तुरन्त बाद, उस तीसरे राज्य के साथ हुए वभिन्नमय के तदनु रूप पैराग्राफ में उल्लिखित शर्तों के बारे में विधुषित करेगा, और अन्य संबिदाकारी राज्य के सदाम अधिकारी के अनुरोध करने पर उस उप-पैराग्राफ के उपबन्धों में प्रोतीकोल द्वारा संशोधन किया जाएगा, जिसमें ऐसी शर्तों का उल्लेख होगा।

(स) तथापि, स्थायी स्थापन द्वारा उष्म के प्रधान-

कायलिय को वक्ष्यता उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में), पेटेंटों वक्ष्यता अन्य अधिकारों के प्रयोग के बच्चे स्वाभिस्य, फीस वक्ष्यता अन्य खेती ही वदायगियों के रूप में, वक्ष्यता की गई विशिष्ट सेवाओं वक्ष्यता प्रबन्ध के लिए कमीशन के रूप में वक्ष्यता, के उष्म के मामले को होकर, स्थायी स्थापन को उधार धिये नर धन पर व्याज के रूप में, यदि कोई रकम वदा की गई हो, तो उन के सम्बन्ध में खेती किसी कर्ता की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। इसी प्रकार, स्थायी स्थापन के लाभों के निर्धारण में उन रकमों को हिसाब में नहीं लिया जायेगा, जो स्थायी स्थापन द्वारा उष्म के प्रधान कायलिय को या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में), स्थायी स्थापन द्वारा पेटेंटों वक्ष्यता अन्य अधिकारों के, प्रयोग के बच्चे में स्वाभिस्य, फीस वक्ष्यता अन्य खेती ही वदायगियों के रूप में वक्ष्यता की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए वक्ष्यता प्रबन्ध के लिए कमीशन के रूप में वक्ष्यता, के उष्म के मामले को होकर, अन्य मामलों में, उष्म के प्रधान कायलिय को वक्ष्यता उसके किन्हीं अन्य कार्यालयों में से किसी को उधार धिये नर धन पर व्याज के रूप में उष्म के प्रधान कायलिय या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को प्रभारित की गई हो।

(5) कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी स्थापन को जुवा नहीं माना जायगा, कि उस स्थायी स्थापन द्वारा उष्म के लिए मात या पण्य वस्तुएं तरीकी गई हें।

(6) वहाँ लामों में वाय की बे मदे शामिल हों, निम्न
हस वभिन्नमय के वन्य अनुच्छेदों में अल से विवेचन किया गया है, वहाँ
उन अनुच्छेदों के उपबन्ध, हस अनुच्छेद के उपबन्धों से प्रभावित नहीं होंगे ।

अनुच्छेद 8

विमान परिवहन

(1) संबिधाकारी राज्यों में से एक राज्य के किसी उष्म द्वारा वन्तराष्ट्रीय यातायात में विमान परिवहन से प्राप्त वाय पर सूरे संबिधाकारी राज्य में कर नहीं लाया जाया ।

(2) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के उपबन्ध वही तरह विमान परिवहन में उरे उष्मों द्वारा किसी भी प्रकार के पूरों में माग लेने के सम्बन्ध में ठामू होंगे ।

(3) इस अनुच्छेद के प्रयोक्तों के लिए :

(क) वन्तराष्ट्रीय यातायात में वायुयान संचालन से सम्बद्ध निष्कों पर व्याप को सेरे वायुयान संचालन से होनेवाली वाय माना जायेगा ; वारे

(ख) 'वायुयान संचालन' पद में सम्मिलित होता वायुयान के मालिकों वष्म पट्टेदारों वष्म कर्त्तावों (चाटीरस) द्वारा वायुयान के बरिबे किया जाने वाला व्युधियों, पङ्क-क, माठ वष्म ठाक का परिवहन कारोबार जिसमें वन्ध उष्मों की तरफ से सेरे परिवहन के लिए टिकटों की किसी, वायुयान का वानुर्धगिक पट्टा तथा इस प्रकार के परिवहन से प्रत्यदातः सम्बद्ध वन्ध कार्य सम्मिष्ठ हैं ।

(4) किसी संबिधाकारी राज्य के उष्म को उस उष्म के स्वामित्व के वारे उस उष्म द्वारा संचालित वायुयान के हस्तान्तरण से प्राप्त ठामों पर, किनसे हुई वाय केवल उस राज्य में कर लाने योग्य है, केवल उस राज्य में ही कर लोया ।

(1) संधिदाकारी राज्य के किसी उपपक्ष की, अन्ताराष्ट्रीय वातायात में पोतों के संचालन से होने वाली वाय पर कर केवल उस राज्य में ही लागू ।

(2) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के उपबन्धों के होते हुए भी ऐसी वाय पर उस अन्य संधिदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जहाँ से वह वाय प्राप्त होती है, बशर्ते :

(क) उस वाय, इस अधिनियम के प्रवर्तन-काल के प्रथम दस विदेशी बंधनों के किसी एक व्यक्त व्यक्ति बंधनों से सम्बन्धित हो ;

(ख) उस वाय पर प्रमार्थ कर, उस कर का 50 प्रतिशत होगा, जो इस अधिनियम के प्रवर्तन-काल के प्रथम पाँच विदेशी बंधनों की वाय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अन्वय में प्रमार्थ होता और बाँचे अनुसूची पाँच बंधनों के लिये ऐसे कर का 25 प्रतिशत होगा ।

(3) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) और (2) के उपबन्ध, ऐसे स्थानों के बीच की यात्राओं से होने वाली वाय पर लागू नहीं होंगे, जो किसी संधिदाकारी राज्य में स्थित हों ।

(4) इस अनुच्छेद के प्रयोक्तार्य पोतों के संचालन से होने वाली वाय में, रिक्त पोत वाजार पर पोतों से सम्बन्धित किराये से होने वाली वाय भी शामिल है, यदि किराये से हुई ऐसी वाय, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में बर्णित वाय की आनुषंगिक वाय हो ।

(5) अनुच्छेद 7 (कारवार काम) के उपबन्धों के होते हुए भी, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1), (2) और (3) के उपबन्ध, संधिदाकारी राज्य के किसी उपपक्ष की, मातृ व्यक्त पक्ष के परिवहन के लिये प्रयुक्त

कन्टेनरों (कन्टेनरों के परिवहन के लिये ट्रेडरों वगैरे सम्बन्धित उपकरण सहित) के हस्तान्तरण, रसदनाम वफा किराये से हुई वाय पर उसी प्रकार लागू होंगे ।

(6) यह अनुच्छेद के उपबन्ध, किसी पूर, संयुक्त कारोबार वफा वन्तारष्ट्रीय संघासन, एकेही में मालीदारी से होनेवाली वाय पर भी लागू होंगे ।

(7) संबिदाकारी राज्य के किसी उपन को, उक्त उपन द्वारा अपनी बाहिली के तथा प्रवाहित पोतों वफा कन्टेनरों के हस्तान्तरण से प्राप्त मुताफों पर केवळ उक्त राज्य में कर लाया जाया यदि हस्तान्तरित पोतों वफा कन्टेनरों के संघासन से हुई वाय पर कर केवळ या तो उही राज्य में लाया गया हो वफा हस्तान्तरण के समय पोत वफा कन्टेनर वन्ध संबिदाकारी राज्य के बाहर स्थित हो ।

सम्बद्ध उष्ण

वहाँ

(क) एक संबिदाकारी राज्य का उष्ण कूरे संबिदाकारी राज्य के उष्ण के प्रबन्ध, नियंत्रण वक्ता पूंभी में, प्रत्यदातः वक्ता अप्रत्यदातः माग लेता है ; वक्ता

(ख) वे ही व्यक्ति एक संबिदाकारी राज्य के उष्ण वारे कूरे संबिदाकारी राज्य के उष्ण के प्रबन्ध, नियंत्रण वक्ता पूंभी में प्रत्यदातः वक्ता अप्रत्यदातः माग लेते है ;

वारे दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उष्णों के बीच उनके बाणिज्यिक वक्ता विहीन सम्बन्धों में ऐसी शर्तें रखी वक्ता लायी जाती है, जो ऐसी शर्तों से भिन्न है ऐसी स्वतंत्र उष्णों के बीच रखी जाती है, वहाँ ऐसा कोई ठाम जो उन शर्तों के न होने की हास्य में उन उष्णों में से एक उष्ण को प्राप्त हुआ होता, परन्तु, उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुआ तो वह ठाम उस उष्ण के ठामों में सम्पिठित किया जा सकेगा वारे वे तत्कवार कराये हो सके ।

छापान्त

- (1) (क) यूनाइटेड फ़िंठम की निवासी किसी कम्पनी द्वारा भारत के किसी निवासी को बदा किये गये छापान्त पर भारत में कर ला सकता है।
- (ख) जहाँ उस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के अन्वय में भारत का कोई निवासी उस छापान्त के सम्बन्ध में कर ब्या का हकदार हो, वहाँ, छापान्त की कुल रकम ब्या मूल्य पर और कर ब्या की रकम पर, 15 प्रतिशत से अधिक की दर पर, यूनाइटेड फ़िंठम में भी और यूनाइटेड फ़िंठम के कानूनों के अनुसार कर लाया जा सकता है।
- (ग) उस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (स) में किये गये उपबन्ध के अन्वय में, भारत के किसी ऐसे निवासी द्वारा जो छापान्त का ठाकदारी स्वामी हो, यूनाइटेड फ़िंठम की किसी निवासी कम्पनी से प्राप्त छापान्त पर यूनाइटेड फ़िंठम में ऐसे किसी भी कर से छूट प्राप्त होगी जो छापान्तों पर प्रभावी हो।

(2) भारत का कोई निवासी, जो किसी ऐसी कम्पनी से छापान्त प्राप्त करता हो जो यूनाइटेड फ़िंठम की निवासी हो, उस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) के उपबन्धों के अन्वय में और यहाँ वह छापान्त का ठाकदारी स्वामी हो, उस छापान्त के सम्बन्ध में कर ब्या का हकदार होगा जिसका हकदार कि यूनाइटेड फ़िंठम में कोई व्यक्ति निवासी उस स्थिति में हुआ होता कि उसे वह छापान्त प्राप्त हुआ होता, और यूनाइटेड फ़िंठम के कर की देवदारी से अधिक की उस कर

क्या की किसी विधिरित वदायनी का हकदार होना ।

(3) इस अनुच्छेद का पैराग्राफ (2) उस स्थिति में लागू नहीं होगा जब ठामांस की ठामकारी स्वामी कोई ऐसी कम्पनी हो जो या तो ऐसे ही वकालत या एक से अधिक सम्बद्ध कम्पनियों के साथ मिलकर ठामांस की वदायनी करने वाली कम्पनी में कम से कम 10 प्रतिशत मत देने की शक्ति को प्रत्यक्षतः वकालत अथवा नियंत्रित करती हो । इस प्रबोधन के लिए दो कम्पनियों को सम्बद्ध माना जायेगा यदि वे एक दूसरी से प्रत्यक्षतः वकालत अथवा नियंत्रित होती हैं, वकालत दोनों ही किसी तीसरी कम्पनी द्वारा प्रत्यक्षतः वकालत अथवा नियंत्रित होती हैं ।

(4) भारत की निवासी किसी कम्पनी द्वारा यूनास्टेट लिमिटेड के किसी निवासी को उदा किये गये किसी ठामांस पर यूनास्टेट लिमिटेड में कर ला सकता है । ठामांस पर भारत में भी कर ला सकता है परन्तु, वहाँ, ठामांस पूर्णतः वकालत वंशतः किसी नये अंशदान से सम्बन्धित हो, वहाँ इस प्रकार लाये गये भारतीय कर की रकम नये अंशदान के कारण प्राप्त ठामांस की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(5) इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफ उस कम्पनी से सम्बन्धित कराधान व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेंगे जिसके ठामों के सम्बन्ध में ठामांस की वदायनी की जाती है ।

(6) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1), (2) और (3) वकालत, ऐसी भी स्थिति हो, पैराग्राफ (4) के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, जब ठामांस के ठामकारी स्वामी का, एक संबिदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण, उसे अन्य संबिदाकारी राज्य में किसी ठामांस की वदायनी करने वाली कम्पनी निवासी हो, कोई

सेवा स्थायी स्थापन क्या निश्चित वाधार हो किसे वह नियंत्रक कम्पनी किसे कारण ठामांस की वदायगी की जाती है प्रभाषीरूप से सम्बद्ध हो । इस तरह के मामले में अनुच्छेद 7 (कारोबार से ठाम) क्या अनुच्छेद 15 (स्वतंत्र वैयक्तिक सेवार्य) के उपबन्ध, सेवा की स्थिति हो, ठामू होंगे ।

(7) वहाँ कोई सेवा कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी हो कूरे संविदाकारी राज्य से ठाम क्या वाय प्राप्त करती हो, वहाँ वह कूरा राज्य, कम्पनी द्वारा वदा फिर गर ठामांसों पर किसी प्रकार का कर नहीं लायो वहाँ तक कि उस कूरे राज्य के निवासी को इस प्रकार के ठामांस वदा नहीं फिर जाते क्या वहाँ तक कि नियंत्रक कम्पनी किसे सम्बन्ध में ठामांस वदा फिर जाते है उस अन्य राज्य में स्थित एक स्थायी स्थापन क्या एक निश्चित वाधार से प्रभाषी रूप से सम्बद्ध नहीं है क्या कम्पनी के अवितरित ठामों पर अवितरित ठामों सम्बन्धी कर नहीं लाया जासा, चाहे वदा फिर गर ठामांस क्या अवितरित ठामपूर्णा रूप से क्या वांक्ति रूप से उस कूरे राज्य में उत्पन्न होने वाले ठाम क्या वाय के रूप में ही हो ।

(8) सेवा कि इस अनुच्छेद में प्रयुक्त है, 'ठामांस' शब्द का अर्थ है सेवार्य से क्या अन्य अधिकारों से कुछ वाय, जो सेवा-दाणे नहीं है, ठामों में वांक्ति हो, तथा उस राज्य के कराधान कानून द्वारा सेवार्य से कुछ वाय की तरह मानी गर अन्य निमित्त अधिकारों से प्राप्त कुछ वाय है कि राज्य की वां वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है वार (अनुच्छेद 12 के उपबन्धों के अन्तर्गत जाने वाले व्याप से पित्त) सेवा कोई अन्य मद है किसे कानून के अधीन ठामांस क्या वितरण सम्पन्न गया हो ।

(9) जैसा कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (4) में प्रयुक्त है, "नया वितरण" पद का अर्थ है बोनस शेयरों से भिन्न ऐसी कोई शेयर पूर्वी जो भारत की किसी निवासी कम्पनी द्वारा इस अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख के बाद जारी की गईं और यूनाइटेड किंगडम के किसी निवासी द्वारा लाभकारिता के साथ अपने स्थापित्व में रखी गईं हों।

व्याप

(1) एक संबिदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संबिदाकारी राज्य के निवासी को उदा किये जाने वाले व्याप पर उस दूसरे राज्य में कर लाया जाएगा ।

(2) तथापि, ऐसे व्याप पर, उस संबिदाकारी राज्य में भी वर उस राज्य के कानून के अनुसार कर लाया जाएगा जिसमें यह उत्पन्न होता है, किन्तु वहाँ दूसरे संबिदाकारी राज्य का निवासी व्याप का ठाकरी स्वामी है वर उसे अधिसूच्य की प्रवृत्त की तारीख के बाद पहले जारी किये गये उधार कर्जा के सम्बन्ध में उदा किया जाता है तो उस प्रकार लाया गया कर, व्याप की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(3) इस अनुच्छेद के पैरा 2 के उपबन्धों के रहते हुए भी:

(क) वहाँ व्याप, वास्तविक वैश्विक कारोबार रहा किसी के को उदा किया जाता है जो दूसरे संबिदाकारी राज्य का निवासी है वर व्याप का ठाकरी स्वामी है, तो उस संबिदाकारी राज्य में जिसमें व्याप उत्पन्न होता है लाया गया कर व्याप की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ;

(ख) वहाँ व्याप, संबिदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य की सरकार कर्जा उस राज्य के किसी राजकीय उप कर्ज कर्जा स्थानीय प्राधिकरण कर्जा भारतीय रिजर्व के को उदा किया जाता है तो उस राज्य में कर नहीं लाया जाएगा जिसमें यह उत्पन्न होता है ।

(4) इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त 'व्याप' शब्द से अभिप्रेत प्रत्येक प्रकार के कर्जे सम्बन्धी दावों से प्राप्त वायु चाहे वे बैंक द्वारा

प्रतिभूत हो क्या नहीं जोर बाहे उनको क़ादाता के लाभों में भागीदार का अधिकार प्राप्त हो क्या नहीं, जोर सासतौर पर सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त वाय जोर बंध-मत्रों क्या क़ा-मत्रों किन में सेही प्रतिभूतियों, बंध-मत्रों क्या क़ा-मत्रों के सम्बन्ध में प्रदान किये जाने वाले प्रीमियम जोर पुरस्कार शामिल है, से प्राप्त वाय से है ।

(5) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1), (2) तथा (3) के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि व्यापक का लाभकारी स्वामी किसी संबिदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संबिदाकारी राज्य में, जिसमें व्यापक उत्पन्न हुआ हो उसमें स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से, व्यापार चलाता हो क्या उस दूसरे राज्य में उसमें स्थित निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवारं करता हो जोर जिस क़ा-दाने के बारे में व्यापक वदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी प्रतिष्ठान क्या नियत स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्धित हो । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 (कारोबार से लाभ) क्या अनुच्छेद 16 (स्वतंत्र वैयक्तिक सेवारं) के उपबन्ध, क्या भी माफ़ता हो, लागू होंगे ।

(6) किसी संबिदाकारी राज्य में व्यापक उद्भूत हुआ माना जाएगा, यदि व्यापक वदा करने वाला स्वयं संबिदाकारी राज्य, कोई राक्षीति, ^{रूप} क़ेसठ, कोई स्थानीय प्राधिकारी क्या उस राज्य का कोई निवासी हो । किन्तु, वहाँ व्यापक वदा करने वाले व्यक्ति का, बाहे वह संबिदाकारी राज्य का निवासी हो क्या नहीं, कर्बदारी के सम्बन्ध में संबिदाकारी राज्य में उसका स्थायी प्रतिष्ठान क्या निश्चित स्थान है, जोर उस कर्बदारी पर व्यापक की वदायगी की जाती है, जोर इस प्रकार का व्यापक इस प्रकार के स्थायी प्रतिष्ठान क्या निश्चित स्थान द्वारा बहल किया जाता है तब वह व्यापक उस संबिदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी

प्रतिष्ठान वक्ता निश्चित स्थान स्थित है।

(7) वहाँ व्याप, उदा करने वाले तथा प्राप्तकर्ता के बीच वक्ता कुछ व्यक्तियों के बीच, विशेष प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण उदा की गई व्याप की रकम, किसी भी कारण से वह रकम बढ़ जाती है, तो इस प्रकार के सम्बन्ध नहीं होने की स्थिति में उदा की गयी होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, उदायगियों के वर्णित पर, इस वर्णित के उदा उपबन्धों का अनुपात करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लाया जाएगा।

तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियां और ड्यूटी

(1) एक संधिदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संधिदाकारी राज्य के निवासी को तकनीकी सेवाओं के लिए देना की गयी रायल्टियों और ड्यूटियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

(2) तथापि, तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियों और ड्यूटियों पर उस संधिदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसमें वे उद्भूत होती हैं ; बशर्ते कि वहाँ तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियां और ड्यूटी अन्य संधिदाकारी राज्य के ऐसे निवासी को देना कि वह उनका ठाकदारी स्वामी हो और उस वस्तुस्थिति के उद्भव होने की तारीख के बाद पहले प्रदान किए गए अधिकार अथवा सम्पत्ति के सम्बन्ध में देना किए जाते हैं अथवा किसी संधिदा के अधीन स्थापित किए जाते हैं, किन्तु इस प्रकार लगाया गया कर तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी रायल्टियों और ड्यूटियों की सकल रकम के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(3) इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त 'रायल्टियां' शब्द से:-

- (क) कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, मुद्रित फॉर्मूला अथवा प्रक्रिया ;
- (ख) वाणिज्यिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण अथवा वाणिज्यिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक कुशल से सम्बन्धित जानकारी ;
- (ग) कोई साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियाँ, कलाचित्र-फिल्मों तथा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में अथवा टेप ;

के प्रबन्धों के लिए अपना प्रायोगिककार के लिए प्रतिकूल के रूप में प्राप्त किसी प्रकार की वसायनी अभिप्रेत है किन्तु इसमें तानों अपना बचानों के कार्यवाहन अपना प्राकृतिक साधनों के निकालने अपना हटाने के सम्बन्ध में उदा की गई रायस्टियां अपना अन्य एकमें सम्प्लित नहीं है।

(4) इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त 'तकनीकी सेवाओं के लिए हुकों' पर से प्रबन्धीय, तकनीकी अपना परामर्शदात्री स्वयम् की सेवाओं के, भिन्ने तकनीकी अपना अन्य कार्मिकों की सेवाओं की व्यवस्था सम्प्लित है, प्रतिकूल में वसायनियां करने वाले व्यक्ति के कर्मचारी को वसायनियां करने तथा अनुच्छेद 15 में (स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं) वणिक्त स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को की नयी वसायनियों से भिन्न किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की वसायनियां अभिप्रेत हैं।

(5) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) तथा (2) उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं के लिए रायस्टियां अपना हुकों का ठामकारी स्वामी, जो एक संधिदाकारी राज्य का निवासी है वरं संधिदाकारी राज्य में निम्ने तकनीकी सेवाओं के लिए रायस्टियां तथा हुकों उपभूत होते है, वहां पर स्थित स्थायी स्थापन के माध्यम से अपना वहां पर स्थित स्थायी स्थापन से उस अन्य राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है निम्ने अधिकार, सम्पति अपना संधिदा के कारण तकनीकी सेवाओं के लिए रायस्टियां अपना हुकों वसा फिर वाते है, ऐसे स्थायी स्थापन अपना निश्चित वाधार के साथ कारणर रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के उपबन्ध (कारोबार से ठाम) अपना अनुच्छेद 15 (स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं), यथावस्था, लागू होंगे।

(6) किसी संविदाकारी राज्य में तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियां और जुक्त उद्भूत हुए जाने जायें, यदि रायल्टियां और जुक्त उदा करने वाला स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उपखंड, कोई स्थानीय प्राधिकरण तथा उस राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु जहाँ तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियां तथा जुक्त उदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो तथा नहीं, संविदाकारी राज्य में स्थायी स्थापन तथा निश्चित आधार हो इसके सम्बन्ध में उदायगियां करने का इरारनामा किया गया हो और उस स्थायी स्थापन तथा निश्चित आधार द्वारा उदायगियां की जाती हों, तब तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टियां तथा जुक्त उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुए जाने वाले जिसमें स्थायी स्थापन तथा निश्चित आधार स्थित है।

(7) जहाँ, रायल्टियां तथा जुक्त उदा करने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण, तकनीकी सेवाओं के लिए उदा की गयी रायल्टियों तथा जुक्तों की रकम, उस रकम से विगी भी कारण से बढ़ जाती है इसके लिए उस प्रकार के सम्बन्ध नहीं होने की स्थिति में यह रकम उदा की गयी होती, जहाँ उस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम वर्धित रकम पर लागू होंगे। उस मामले में उदायगियों के अतिरिक्त अंश पर उस अधिनियम के अन्य उपबन्धों का अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लाया जाया।

अनुच्छेद 14

पूंजीगत लाभ

इस अधिनियम के अनुच्छेद 8 (विमान-परिवहन) और अनुच्छेद 9 (बहाल रानी) में क्या उपरोक्त को हटाने के लिए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य अपने क्षेत्र के कानून के उपबन्धों के अनुसार पूंजीगत लाभों पर कर लग सकता है।

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवार्थ

(1) एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, वृत्ति सम्बन्धी सेवाओं जैसा उसी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्यक्षेत्रों के सम्बन्ध में प्राप्त वाय पर उस राज्य में कर ला सकना। अन्य संविदाकारी राज्य में ऐसी वाय पर कर लाया जा सकता यदि ऐसी सेवार्थ उस अन्य राज्य में की जाती है वरि यदि :

(क) संत वितीय वर्ण में कुछ 90 दिन की अवधि जैसा कर्मियों के लिए वह उस अन्य राज्य में उपस्थित रहा हो ; जैसा

(ख) अपने कार्यक्षेत्रों के प्रयोगों के निमित्त उसे क्वरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध हो ;

किंगु केस प्रत्येक मामले में ही उतनी रकम पर कर लाया जा सकता जो इन सेवाओं के कारण उत्पन्न हुई मानी जा सकती हों ।

(2) वृत्ति सम्बन्धी सेवार्थ' पद में स्वतन्त्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, उद्योगिक जैसा प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्षेत्र तथा चिकित्सकों, सैन्यों, बकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, कंव-चिकित्सकों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यक्षेत्र भी शामिल है ।

पराभित वैयक्तिक सेवाएं

(1) अनुच्छेद 17 (निपेक्षक हुक), 18 (कलाकार वॉर लिटाइटी), 19 (सरकारी पारित्राफिक वॉर पेन्शंस), 20 (विद्यार्थी वॉर प्राइविलेज) वॉर 21 (वध्यापक) के उपबन्धों के अधीन एक संबिदाकारी राज्य के किसी निवासी को, नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा अन्य इसी प्रकार के पारित्राफिक पर कर केवल उसी राज्य में ला लगेगा जब तक कि उसका नियोजन दूसरे संबिदाकारी राज्य में न हो ।

(2) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के उपबन्धों के होते हुए भी, स्ट्रेन के निवासी द्वारा प्राप्त पारित्राफिक पर भारत में प्रयुक्त नियोजन के सम्बन्ध में भारत में कर नहीं लगेगा यदि:-

- (क) वह संतत वितीय वर्ष में कुल फिला कर 183 पिन की क्षमि वषा क्षमियों के लिए भारत में मांषुद रहा है ;
- (ख) पारित्राफिक की वषायी से नियोक्त द्वारा वषा उसकी धोर से की नयी हो, जो भारत का निवासी नहीं है ; वॉर
- (ग) भारतीय कर लाने योग्य किसी उपक्रम के छाभों का खिाव लाते समय पारित्राफिक कटाती योग्य नहीं है ।

(3) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के उपबन्धों के होते हुए भी, भारत के निवासी को, संयुक्त राज्य में प्रयुक्त नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त पारित्राफिक पर कर यूनास्टेट फिंठम में नहीं लगेगा यदि:-

- (क) वह किसी संतत वितीय वर्ष में कुल फिलाकर 183 पिन की क्षमि वषा क्षमियों के लिए यूनास्टेट फिंठम में रहा हो ;
- (ख) पारित्राफिक की वषायी से नियोक्त द्वारा वषा उसकी

बोर से की गई हो वो यूनाइटेड किंगडम का
निवासी नहीं है ; बोर

- (ग) यूनाइटेड किंगडम के कर लाने योग्य किसी उपक्रम
के ठापों का हिसाब लाते समय, पारित्राफिक क्टोंती
योग्य नहीं है ।

(4) इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होते हुए भी,
वन्तराष्ट्रीय यातायात में क्लपोत पर वक्ता बायुयान पर फिर
नए नियोजन के सम्बन्ध में पारित्राफिक पर कर उस संबिदाकारी
राज्य में ला सकेगा, शिका, क्लपोत वक्ता बायुयान संचालन से
छाप प्राप्त करने बाछा व्यक्ति निवासी है ।

निदेशक मुद्रक

संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी ऐसी
कम्पनी के निदेशक-मण्डल के एक सदस्य की हैसियत से जो कूरे
संविदाकारी राज्य का निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस
तथा उसी प्रकार की वधायगियों पर उस कूरे संविदाकारी राज्य
में कर ला सकेगा ।

कलाकार और सिलाई

(1) अनुच्छेद 15 (स्वतंत्र वैयक्तिक सेवारं) और 16 (पराभित वैयक्तिक सेवारं) के उपबन्धों के होते हुए भी, मनोरंजनकारियों (जैसे, रंगमंडल कलाचित्र, रेडियो तथा दूरदर्शन कलाकार और संगीतकार) तथा सिलाइयों को अपनी हेसियत से अपने वैयक्तिक कार्यों से प्राप्त वाय पर उस संबिदाकारी राज्य में कर ला सकेगा, जिसमें ऐसे कार्य किये गये हों।

(2) जहाँ किसी मनोरंजनकारि तथा सिलाइी द्वारा किसी संबिदाकारी राज्य में अपनी हेसियत से किये गये वैयक्तिक कार्यों से उत्पन्न वाय उस मनोरंजनकारि तथा सिलाइी को प्रोद्भूत नहीं होकर किसी अन्य व्यक्ति को होती है, ऐसे मामले में उस वाय पर, अनुच्छेद 7 (कारोबार से लाभ), 15 (स्वतंत्र वैयक्तिक सेवारं) और 16 (पराभित वैयक्तिक सेवारं) के उपबन्धों के होते हुए भी, उस संबिदाकारी राज्य में कर ला सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) और (2) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे यदि उक्त मनोरंजनकारि तथा उक्त सिलाइी की, संबिदाकारी राज्य की यात्रा का व्यय, प्रत्यक्षतः तथा अप्रत्यक्षतः, कूरे संबिदाकारी राज्य की, जिसमें कूरे राज्य का राजनीतिक उप-मंडल तथा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है, सरकारी निधियों से पूर्णतः तथा पर्याप्ततः किया गया हो।

सरकारी पारितोषिक वार पेन्शनों

(1) भारत सरकार द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो भारत का राष्ट्रिक है, यूनाइटेड किंगडम में सरकारी कार्य करने के लिये की गयी सेवाओं के सम्बन्ध में, वदा किया गया, पेन्शन से भिन्न, पारितोषिक यूनाइटेड किंगडम के कर से मुक्त होगा।

(2) यूनाइटेड किंगडम की सरकार द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रिक है, भारत में सरकारी कार्य करने के लिये की गयी सेवाओं के सम्बन्ध में, वदा किया गया, पेन्शन से भिन्न पारितोषिक, भारतीय कर से मुक्त होगा।

(3) संप्रदािकारी राज्य की सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को, उस सरकार के लिये की गयी सेवाओं के सम्बन्ध में वदा की गयी किसी भी प्रकार की पेन्शन पर केवल उस संप्रदािकारी राज्य में ही कर लागू होगा।

(4) इस अनुच्छेद के उपबन्ध, किसी व्यापार व्यक्ता, कारोबार के सम्बन्ध में की गयी सेवाओं के लिए वदा किये गये पारितोषिक व्यक्ता पेन्शन पर लागू नहीं होंगे।

विवाची वर प्रक्रियाची

(1) वेले व्यक्ति पर, जो संविदाकारी राज्य का निवासी है वया वन्य संविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तत्काठ पूं उस राज्य का निवासी वा वर जो उस वुरे राज्य में निमलिखित मुख्य प्रयोजन के लिए वस्यायी रूप से उपस्थित है :

(क) उस वन्य संविदाकारी राज्य में विज्ञापिवालय वया वन्य वक्षित वया मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था में वध्यन करने के लिये ; वया

(ख) कोई व्यवसाय करने वया व्यावसायिक विशेषज्ञता के लिये उसे वहाँ बनाने हेतु अपेक्षित प्रक्रियाण पाने के लिये ; वया

(ग) किसी सरकारी, वाकिक, काषिा, वैज्ञानिक, साहित्यिक वया शैक्षिक संठन से वुदान, मता, वया पुरस्कार पाने वाठे के रूप में वध्यन करने के लिये वया वसुंबान करने के लिये ;

उस वन्य संविदाकारी राज्य द्वारा निमलिखित के सम्बन्ध में कर नहीं लाया वाया :

(i) उसके निवाहि, क्रिया, वध्यन, वसुंबान वया प्रक्रियाण के प्रयोजन के लिये विदेशों से प्राप्त वान ;

(ii) वुदान, मता, वया पुरस्कार; वर

(iii) उस वन्य संविदाकारी राज्य में की नयी वैयक्तिक सेवाओं से हुई वाय (किसी वाटफिल्ड कर्क वया वन्य व्यक्ति द्वारा, जो व्यावसायिक प्रक्रियाण पा रहा हो, उस व्यक्ति वया मागीदारिता के लिये,

जिसे साथ वह वाटिकिल्ड है वक्ता को प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहा है, की नवी सिव्ही सेवा से निम्न सेवा), जो सिव्ही विधीय वर्ष में 750 पाउंड स्टर्लिंग या भारतीय मुद्रा में उसके बराबर रकम से अधिक नहीं हो ।

(2) उस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के अन्तर्गत की नवी छूटें केवल सिव्ही व्यवस्थापक के लिये ही लागू रहेंगी जो उक्त वाक्ता के प्रयोक्ता के अधिक रूप से वक्ता प्रशासक के अधीन हों, परन्तु, सिव्ही की दृष्टि में सिव्ही की व्यक्ति को उस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित लाभ से अधिक वर्षों के लिये नहीं मिलेगा ।

(3) ऐसे व्यक्ति पर, जो संबिदाकारी राज्य का निवासी है वक्ता अन्य संबिदाकारी राज्य की वाक्ता करने से तत्काल पूर्व उस राज्य का निवासी या वर जो उस अन्य राज्य में 12 मास से अधिक काल के लिये अस्थायी रूप से, प्रथम उल्लिखित संबिदाकारी राज्य के सिव्ही निवासी के कर्मचारी के रूप में वक्ता संबिदा के अन्तर्गत निम्न-लिखित मुख्य प्रयोक्त के लिए उपस्थित है :

(क) प्रथम उल्लिखित संबिदाकारी राज्य के उस निवासी से निम्न सिव्ही व्यक्ति से उम्मीद, व्यावसायिक वक्ता कारोबार सम्बन्धी अनुभव प्राप्त करने के लिये ; वक्ता

(ख) उस अन्य संबिदाकारी राज्य में विश्वविद्यालय वक्ता अन्य अधिकृत वक्ता मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था में अध्ययन करने के लिये ;

अन्य संबिदाकारी राज्य में की नवी वैयक्तिक सेवाओं से हुई उसकी वाक् पर, जो 1500 पाउंड स्टर्लिंग वक्ता भारतीय मुद्रा में उसके बराबर रकम से अधिक नहीं हो, उस अन्य संबिदाकारी राज्य द्वारा उस व्यक्ति के लिये कर नहीं लगाया जाएगा ।

(4) जैसे व्यक्ति पर, जो संविदाकारी राज्य का निवासी है वना वन्य संविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तत्काल पूर्व उस राज्य का निवासी या वीर जो उस वन्य राज्य में 12 मास से वनाधिक क्षति के लिये, वन्य संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा प्रयोजित कार्यक्रम में पाल देने वाले के रूप में, प्रकृष्टाण, अनुबंधान वना वन्यन के मुख्य प्रयोजन के लिए, कल्याणी रूप से निवासी है, प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा उसके निवासी, प्रकृष्टाण, अनुबंधान वना वन्यन के प्रयोजनों के लिये किये गये प्रदान के सम्बन्ध में उस वन्य संविदाकारी राज्य द्वारा कर नहीं लगाया जायगा ।

अनुच्छेद 21

व्यवस्थापक

(1) जैसे व्यक्ति को, जो किसी संघिकारी राज्य में वहाँ के किसी विज्ञापिकालय, विभाजन वक्ता वन्ध मान्यता प्राप्त केन्द्रिक संस्था में व्यवस्थापन वक्ता अनुसन्धान-कार्य करने के प्रयोक्तार्य विकसन को वक्तों की क्षति के लिए दारा करता है, और जो उस दारे के तत्काल पूर्व वन्ध संघिकारी राज्य का निवासी था, जैसे व्यवस्थापन वक्ता अनुसन्धान-कार्य के लिए प्राप्त होने वाले किसी पारिभाषिक पर, जिस तारीख से वह पक्की दार उक्त प्रयोक्तार्य उस राज्य का दारा करता है, उस तारीख से विकसन को वक्तों की क्षति के लिए, प्रयोक्तार्य संघिकारी राज्य दारा कर से छूट दी जाती है।

(2) वह अनुच्छेद, अनुसन्धान-कार्य से प्राप्त होनेवाली दार पर केवल उस दाल में लागू होगा यदि ऐसा अनुसन्धान-कार्य, व्यक्ति द्वारा दारिभाषिक दाल में शुरू किया गया हो, न कि मुख्य: किसी वन्ध निधी व्यक्ति वक्ता व्यक्तियों के दाल के लिए।

बोसे कराधान का परिहार

(1) यूनाइटेड किंगडम से बाहर स्थिती राज्य क्षेत्र में के कर को यूनाइटेड किंगडम के प्राप्त बना मानने की स्वीकृति देने से सम्बन्धित यूनाइटेड किंगडम के कानून के उपबन्धों के अधीन रहते हुए (जो उनके सामान्य विधानों को प्रभावित नहीं करें) :-

(क) भारत के कानूनों के अन्तर्गत और उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, प्रत्यक्षतः अपना स्टॉकी द्वारा, भारत के भीतर छांटों से प्राप्त लाभों, वायु अपना प्रभार्य अधिकाओं (स्थिती, स्थिती छांटों के नामों में, स्थिती छांटों में से छांटों बना किया जाता है उनके सम्बन्ध में के कर की रकम शामिल नहीं है) पर के भारतीय कर को समान लाभों, वायु अपना प्रभार्य लाभों के स्थिती संदर्भ में भारतीय कर की संगणना की जाती है उस संदर्भ में संगणित यूनाइटेड किंगडम कर के प्राप्त बना के रूप में स्वीकार किया जाएगा ।

(ख) स्थिती कम्पनी द्वारा, जो भारत की निवासी हो, स्थिती स्थिती कम्पनी को जो यूनाइटेड किंगडम की निवासी हो और स्थिती नियन्त्रण में छांटों की अदायगी करने वाली कम्पनी में प्रत्यक्षतः अपना अत्यक्षतः कम से कम 10 प्रतिशत स्टाफिकार हो, उसके द्वारा प्रदत्त स्थिती छांटों के सम्बन्ध में (स्थिती स्थिती भारतीय कर के अलावा स्थिती छिद उस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (क) के उपबन्धों के तहत बना की स्वीकृति दी जा सकती हो) बना की जानेवाली रकम में स्थिती छांटों के

बारे में, जिसमें से ऐसे छापाई की वदायगी की गई
हो, कम्पनी द्वारा वे भारतीय कर को खिाव में
लिया जायेगा ।

परन्तु यह पैराग्राफ़ ऐसी कम्पनी पर लागू नहीं होगा जो यूनास्टेट
फ़िंछम की निवासी हो और तेह कराधान अधिनियम 1976 की अनुसूची
9 के प्रयोक्तायं यथा परिभाषित एक तेह कम्पनी हो ।

(2) भारत के बाहर किसी राज्य क्षेत्र में देय कर को भारतीय
कर के प्रति बना के रूप में स्वीकृति देने के सम्बन्ध में भारत के कानून
के उपबन्धों के अधीन रहते हुए (जो उनके सामान्य सिद्धान्तों को
प्रभावित नहीं करें), यूनास्टेट फ़िंछम के कानूनों के तहत और उस
अभिन्नत्व के उपबन्धों के अनुसार, प्रत्यक्षातः बना स्टॉकी द्वारा,
यूनास्टेट फ़िंछम के मीतर छोतों से प्राप्त वाय के बारे में, जिसपर
भारत में तथा यूनास्टेट फ़िंछम दोनों में कर लाया गया हो, भारत
के किसी निवासी द्वारा वे यूनास्टेट फ़िंछम कर की रकम को उस
वाय के सम्बन्ध में देय भारतीय कर के प्रति बना के रूप में स्वीकृति की
जायेगी किन्तु उतनी रकम पर स्वीकृति की जायेगी जिसका प्रतिशत
अनुपात उस भारतीय कर से अधिक नहीं हो जो भारतीय कर के लिए
प्रभायं सम्पूर्ण वाय के रूप में एक वाय हो । किसी भी हात में
यूनास्टेट फ़िंछम कर के लिए बना की स्वीकृति, कम्पनियों की वितरित
वाय पर वितरित वाय कर के प्राप्त नहीं की जायेगी ।

उस पैराग्राफ़ में उल्लिखित बना के प्रयोक्तों के लिये, जहाँ
पर भारत का निवासी एक ऐसी कम्पनी हो जिसके द्वारा वतिकर देय
हो, जहाँ पर भारतीय कर के प्राप्त संभूर की जाने वाली बना की
स्वीकृति, भारत में कम्पनी द्वारा देय वाय-कर के प्राप्त पहली बार
की जायेगी, और जेवा रकम के सम्बन्ध में, यदि कोई हो, उसके द्वारा
भारत में देय वतिकर के प्राप्त स्वीकृति की जायेगी ।

(3) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के प्रयोगों के लिए 'वेब भारत कर' कृषकों में निम्नलिखित के अन्तर्गत ऐसी कोई भी एक शक्ति मानी जायेगी जो भारतीय कर के रूप में देय होती यदि निम्नलिखित के तहत उस वर्ष के लिए स्वीकृत कर योग्य वायु वक्या कोई हूट वक्या घटाती की संगठना में घटाती की एक शक्ति नहीं हुई होती:-

(क) वायुकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10(4), 10(4क), 10(6) (vii-क), 10(15)(iv), 32-क, 33-क, 35-त, 35 ग ग, 80 ब ब, 80 ज और 80 ट, बर्हात्क कि वे इस अधिनियम पर हस्ताक्षर होने की तारीख को ठागू थीं और उक्त तारीख से उनमें कोई संशोधन नहीं हुआ हो वक्या केवल ऐसी मामूली संशोधन हुआ हो जिससे उनके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो ; वक्या

(ख) कोई भी अन्य उपबन्ध जो कर की ऐसी हूट वक्या घटाती मंजूर करने के लिए बाद में फिर बायें जिसके बारे में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों की यह सहमति हो कि उसके स्वरूप में उस हालत में काफी उन्नतता है यदि उसमें बायें संशोधन नहीं किया गया हो वक्या केवल ऐसी मामूली संशोधन किया गया हो जिससे उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो ।

परन्तु यूनाइटेड किंगडम के कर से राहत, किसी स्रोत से प्राप्त वायु के सम्बन्ध में इस पैराग्राफ की वजह से उस स्थिति में नहीं की जायेगी यदि वायु का सम्बन्ध, उस स्रोत के बारे में यूनाइटेड किंगडम के निवासी को वक्या भारत के निवासी को, ऐसी भी स्थिति हो, भारतीय कर से निम्न अधि से हूट वक्या घटाती पहली बार की गई

हो उस क्षति के बाद 10 विसीय बगनों से अधिक की हूक होने वाली क्षति से है ।

(4) ऐसी वाय को, जिस पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी संविदाकारी राज्य में कर नहीं लाता हो, उस संविदाकारी राज्य में अन्य वाय पर वायव किये जाने योग्य कर की दर की संगणना में हिसाब किताब में लिया जा सकता है ।

(5) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) तथा (2) के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के स्थापित्व में ठाभों, वाय तथा प्रमार्थ अधिष्ठाभों को, जिस पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्य संविदाकारी राज्य में कर लाया जा सकता है, उस अन्य संविदाकारी राज्य में झोटों से उत्पन्न हुआ जाना बायेगा ।

(6) वहां पर ठाभों को, जिसपर किसी संविदाकारी राज्य के किसी उफम पर उस राज्य में कर लाया गया हो, अन्य राज्य के किसी उफम के ठाभों में भी शाभिक किया गया हो वौर इस प्रकार से शाभिक किए गए ठाभ सेठे ठाभ हो जो अन्य राज्य के उस उफम से उस हाउस में इम्पूत हुए होते । यदि उफमों के बीच ऐसी झौं निर्धारित होतीं जो एक दूसरे के साथ पूर्णतया स्वतंत्ररूप से कार्य करनेवाले उफमों के बीच निर्धारित की गई होतीं, सेठे बायले में दोनों उफमों के ठाभों में समाधिष्ट रफम को, इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, प्रथमोक्त राज्य के उफम के अन्य राज्य में किसी झौत से वाय के रूप में माना बायेगा वौर इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) तथा पैराग्राफ (2) के उपबन्धों के तहत तदनुसार राहत की बायेगी ।

(7) इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ज्ञानों में सेठे कर समाधिष्ट होने जो इस अधिनियम के विषय क्षेत्र हैं वौर जो अधिनियम में स्पष्टरूप से उल्लिखित नहीं की गई वाय पर लाए जाते हैं ।

(1) एक संधिदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संधिदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था क्या तत्समन्वी ऐसी कोई अपेक्षा ठागू नहीं की जाती, जो उस कराधान से और उन सम्बन्धित अपेक्षाओं से भिन्न क्या अधिक पारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर ऐसी ही परिस्थितियों में ठागू होती है क्या हो सकती है।

(2) किसी संधिदाकारी राज्य के उद्देश्य के, दूसरे संधिदाकारी राज्य में स्थायी संस्थान पर, उस दूसरे राज्य में ऐसी कराधान ठागू नहीं किया जाता जो उस दूसरे राज्य के जैसे ही काम में, उन्हीं परिस्थितियों में क्या ऐसी ही स्थितियों के अन्तर्गत प्रचलित उद्देश्य पर ठागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हों। इस उपबन्ध का यह अर्थ नहीं लाया जाता कि एक संधिदाकारी राज्य को, एक स्थायी संस्थान के उन लाभों को प्राप्त करने से रोकना चाहिए, जो दूसरे संधिदाकारी राज्य का कोई उद्देश्य, पूर्वोक्तित राज्य में कर की उस दर पर प्राप्त करता है जो पूर्वोक्तित संधिदाकारी राज्य के एक जैसे ही उद्देश्य के लाभों पर प्रचलित कर की दरों की अपेक्षा अधिक हों और इसका अर्थ, इस अधिनियम के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ (4) के उपबन्धों के प्रतिकूल भी नहीं लाया जाता।

(3) इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लाया जाया कि उससे एक संधिदाकारी राज्य को, उस राज्य के निवासी व्यष्टियों को, कराधान के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की वे बंधावट हटें, राहतें तथा छूटियाँ प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है जो कानून द्वारा उस राज्य के निवासी व्यष्टियों को ही उपलब्ध है।

(4) एक संबिदाकारी राज्य के उपायों पर, किसी पूर्वी
 पूजितः वयसा वंशः कुरे संबिदाकारी राज्य के एक वयसा एक से
 वकि निवासियों के, प्रत्यदातः वयसा अत्यदातः, स्वामित्य वयसा
 नियंत्रण में है, प्रथमोक्त संबिदाकारी राज्य में कोई सेवा कराधान
 वयसा तत्त्व मन्धी कोई सेवा अवेदाता उगु नहीं की जाती, जो उस
 कराधान वारे तत्त्व मन्धी अवेदाताओं से भिन्न वयसा वकि मारपूर्ण
 हों, जो उस प्रथमोक्त राज्य के अन्य वैसे ही उपायों पर उगु होती
 हैं, वयसा हो सकती हैं।

(5) इस अनुच्छेद में 'कराधान' पद का अर्थ में कर है जो
 इस अधिनियम के विधाय है।

पारस्परिक करार कार्यविधि

(1) वहाँ किसी संविदाकारी राज्य का निवासी यह समझता है कि एक व्यक्तियों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है व्यक्तियों लगाया जाता, वह इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं है, तो वह इन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबन्धित उपचारों के होते हुए भी, अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सदान प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह निवासी है।

(2) यदि सदान प्राधिकारी को आपत्ति उभित हो वरि यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त काल पर पहुँचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सदान प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा।

(3) इस अधिनियम की व्याख्या करने व्यक्तियों को हानु करने में यदि कोई कठिनाइयाँ व्यक्तियों संकरं उत्पन्न हों, तो संविदाकारी राज्यों के सदान प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे।

(4) पूर्वोक्त पैराग्राफों के अधिनियम के अन्तर्गत सहमति के प्रयोक्तार्य संविदाकारी राज्यों के सदान प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं।

सूचना का वादान-प्रदान

संविदाकारी राज्यों के सदाय प्राधिकारी ऐसी सूचना (जो
 सूचना और अस्तापेव हो जो प्रशासन की सामान्य स्थिति में उनके
 अपने अपने कराधान कानूनों के अन्तर्गत उनके पास हो) का वादान-प्रदान
 करने जो इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिये अथवा जोसेकड़ी
 की रोकथाम के लिए अथवा ऐसे करों के सम्बन्ध में कानूनी परिहार के
 अलावा सांख्यिक उपबन्धों के प्रशासन के लिए वापस है। इस प्रकार
 वादान-प्रदान की गई सूचना अथवा अस्तापेव को गुप्त समझा जाता
 है और ऐसे करों के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम का विषय हैं जैसे कर-
 निर्धारणकार्य, कसूही कार्य, अतएव अथवा अधिसूचना की कार्यवाही से
 सम्बन्धित स्थितियाँ (जिन्हें न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय
 जानिक है) के समता प्रकट किया जा सकता है। ऐसी सूचना अथवा
 अस्तापेव का वादान-प्रदान नहीं किया जाता किन्तु किसी व्यापार,
 कारोबार, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक गोपनीयता अथवा कोई
 व्यापार प्रकृतिया प्रकृत होती है।

राज्यक कया कौसली वकलारी

(1) इस अधिनियम से, राज्यक कया कौसली वकलारियों को अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत कया विशेष करारों के उपबन्धों के अन्तर्गत प्राप्त विधीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) अनुच्छेद 4 (विधीय वकलार) के पैराग्राफ (1) के उपबन्धों के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो किसी संबिदाकारी राज्य के क्षेत्रे राज्यक, कौसली कया स्थायी शिष्ट-मण्डल का सक्क्य है जो कूरे संबिदाकारी राज्य में स्थित है वौर जो उस कूरे राज्य में केवल सेव कर लावे जाने योग्य है यदि वह उस राज्य के स्रोतों से आय प्राप्त करता है तो उसे इस अधिनियम के प्रयोगार्थ उस कूरे राज्य का निवासी नहीं समझा जाएगा ।

प्रवर्तनी

संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक राज्य, इस वित्तसमय को ठानू करने के लिए उसकी विधि द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के ठानू पूरा किये जाने के बारे में दूसरे राज्य को अधिसूचित करेगा। यह वित्तसमय, इन अधिसूचनाओं में से बाव की अधिसूचना की तारीख से ठानू होना और उसके बाद

(क) यूनाइटेड किंगडम वाफ ग्रेट ब्रिटेन और नाईरु
बाबर लेण्ड में

- (i) जिस कैलेण्डर वर्ष में अधिसूचनाओं में से बाव की अधिसूचना दी गयी हो, उसके आठे परवर्ती दूसरे कैलेण्डर वर्ष में 6 अप्रैल को वष्या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी कर-निवारण वर्ष के लिए वाय-कर तथा पूर्णमत छाम के सम्बन्ध में ;
- (ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में अधिसूचनाओं में से बाव की अधिसूचना दी गयी हो, उसके आठे परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में पहली अप्रैल को वष्या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए निगम कर के सम्बन्ध में ;
- (iii) जिस कैलेण्डर वर्ष में अधिसूचनाओं में से बाव की अधिसूचना दी गयी हो, उसके आठे परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में पहली जनवरी को वष्या उसके बाद शुरू होने वाली किसी भी प्रमार्य वर्ष के लिए पेट्रोलियम सम्बन्धी राकस कर के सम्बन्ध में ;
- (iv) जिस कैलेण्डर वर्ष में अधिसूचनाओं में से बाव की अधिसूचना दी गयी हो, उसके आठे परवर्ती वर्ष में

पहली जंगल को जफ़्तान उसके बाद प्राप्त होने वाले विकास मुख्य की कसूठ की गयी किसी भी राष्ट्र के लिये विकसित मुनि-कर के सम्बन्ध में ;

- (स) भारत में, विश्व केंद्रेण्डर बर्ष में अधिष्णुचनाओं में से बाद वाली अधिष्णुचना की गयी हों, उसके आठे परपती केंद्रेण्डर बर्ष के जंगल के प्रथम दिन को जफ़्तान उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय बर्ष में उत्पन्न होने वाली वाय के सम्बन्ध में लागू होगा ।

समाप्ति

यह अधिनियम उस समय तक लागू रहेगा जब तक कि संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता। संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य, अधिनियम के लागू होने की तारीख से साठ बर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद शुरू होने वाले किसी भी कैलेण्डर बर्ष की समाप्ति से कम से कम छः महीने पहले राज्याधिक नायब से समाप्ति का नोटिस केर अधिनियम को समाप्त कर सकेगा। ऐसी स्थितिमें यह अधिनियम:

(क) यूनाइटेड किंगडम वाफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नार्थ आयरलैंड में:

- (i) जिस कैलेण्डर बर्ष में नोटिस दिया गया हो, उसके आठे परवर्ती कैलेण्डर बर्ष में 6 अप्रैल को वष्या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी कर-निर्धारण बर्ष के लिये, वायकर तथा पुंजीगत छाम कर के सम्बन्ध में ;
- (ii) जिस कैलेण्डर बर्ष में नोटिस दिया गया हो, उसके आठे परवर्ती कैलेण्डर बर्ष में 1 अप्रैल को वष्या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय बर्ष के लिये, निगम कर के सम्बन्ध में ;
- (iii) जिस कैलेण्डर बर्ष में छेथा नोटिस दिया गया हो, उसके आठे परवर्ती कैलेण्डर बर्ष में 1 जनवरी को वष्या उसके बाद शुरू होने वाली किसी भी प्रभाय अवधि के लिये, पेट्रोलियम राजस्व कर के सम्बन्ध में ;
- (iv) जिस कैलेण्डर बर्ष में नोटिस दिया गया हो,

उसके आठे परवर्ती क्रेडिट बर्ष में 1 अप्रैल को
वषा उसके बाद प्राप्त होने वाले विकास मुल्य
की वसूल की गयी राशि के लिये, विकसित पु-
कर के समन्वय में ; और

(स) भारत में, विश्व क्रेडिट बर्ष में नोटिड किया गया हो,
उसके आठे परवर्ती क्रेडिट बर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन को वषा उसके
बाद शुरू होने वाले किसी भी राजस्व बर्ष में उत्पन्न होने वाली वषा
के समन्वय में ।

विश्वके साध्य में, इसके लिए अपनी-अपनी सरकारों द्वारा
विकसित प्राधिकृत वषाहस्ताधारियों ने इस अभियन्त पर हस्ताधार
किये हैं ।

नई दिल्ली में अप्रैल 1981 के 16 वें दिन को हिन्दी और
अंग्रेजी भाषाओं में से प्रत्येक की दो मूल प्रतियों में किया गया, इसके
दोनों पाठ समानतः प्रमाणिक होंगे । दोनों पाठों में भिन्नता होने
की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा ।

युनाइटेड किंगडम वाफ ग्रेट ब्रिटेन
एण्ड नार्थ आयरलैंड की सरकार की
ओर से:

भारत सरकार
की ओर से:



श्री. रामचन्द्र शर्मा